रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102025-266557
CG-DL-E-01102025-266557

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4312] नई दिल्ली सोमवार , सितम्बर 29 , 2025/आश्विन 7, 1947
No. 4312] NEW DELHI MONDAY, SEPTEMBER 29, 2025/ASVINA 7, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2025

का.आ. 4436(अ).—(अ), यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1050 (अ), दिनांक 05 मार्च 2024 द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-340सी के कुरनूल से आत्मकुर खंड तक के भाग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः, अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 (जिसे इसके पश्चात "नियम" कहा जाए), के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतदद्वारा, आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 340 सी के डिजाइन किमी 0.00 से किमी 66.115 (एनएच-40 के विद्यमान किमी 5.400 से विद्यमान किमी 73.00) तक कुरनूल-मंडलम- आत्मकुर खंड के चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई तालिका (1) के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 38.405 कि.मी. (सारणी 2) की निवल सड़क खंड लंबाई तथा 3.100 किमी (0.310 किमी की लंबाई, सारणी-4) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली) के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर और 10 करोड़ रू या उससे अधिक की लागत वाले 27.400 कि.मी. (सारणी 3) लंबाई वाले बाईपास के लिए आधार दर के डेढ़ गुना पर शुल्क उद्ग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संग्रहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाज़ाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क खंड लंबाई हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात;

सारणी 2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (चेनेज)	**लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है**	**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
आंध्र प्रदेश राज्य के नंदयाल जिले में रुद्रवरम गांव के पास एनएच-340सी के कि.मी. 47+750 पर।	38.405 [बाईपास की लंबाई (जिनकी लागत 10 करोड़ से अधिक) और (>60 मीटर) संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी देय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाज़ा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए होगा:

सारणी 3						
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	**बाईपास का नाम**	**पर आरंभ होते हुए**	**पर मिलते हुए**	**बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है**		**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
				लंबाई (कि.मी. में)	**लागत (करोड़ रुपए में)**	
आंध्र प्रदेश राज्य के नंदयाल जिले में रुद्रवरम गांव के पास एनएच-340सी के कि.मी. 47+750 पर।	कुरनूल - गार्गेयपुरम बोल्लावरम-भरमहनकोटकुर-नंदीकोटकुर बाईपास	डिज़ाइन किमी 0+000	डिज़ाइन किमी 10+800	10.800	106.98	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
		डिज़ाइन किमी 15+200	डिज़ाइन किमी 27+500	12.300	129.26	
	आत्मकुर बाईपास	डिज़ाइन किमी 61+200	डिज़ाइन किमी 65+500	4.300	52.00	
	कुल			27.400		

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा (प्लाज़ाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:

सारणी-4			
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	**सड़क की लंबाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लंबाई (कि.मी. में)**	**समकक्ष सड़क लंबाई (कि.मी. में)**	**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
आंध्र प्रदेश राज्य के नंदयाल जिले में रुद्रवरम गांव के पास एनएच-340सी के कि.मी. 47+750 पर।	0.310	3.10	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

विवरण निम्नानुसार है

क्रम सं.	**चेनेज**		**संरचना का प्रकार**	**लंबाई (कि.मी. में)**
	कि.मी. से	**कि.मी. तक**		
1.	41+372	41+440	किमी. 41+390 पर बड़े पुल का पुनर्निर्माण	0.068
2.	41+801	41+876	किमी. 41+815 पर नया बड़ा पुल	0.075
3.	54+335	54+421	किमी. 54+350 पर बड़ा पुल (बाएं तरफ (64.9 मीटर) यथावत) और दांए तरफ नया पुल (85.9 मीटर))(औसत 0.0754 मीटर है)	0.075
4.	54+475	54+569	किमी. 54+500 पर बड़ा पुल (बाएं तरफ (90 मीटर) यथावत) और दांए तरफ नया पुल (93 मीटर)) (औसत 0.0915 मीटर है)	0.092
कुल				**0.310**

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाज़ा से बीस कि.मी. की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 350.000/-रूपए (तीन सौ पचास रूपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है ।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय धनराशि	**अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**विधिमान्यता की अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. शुल्क प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1743.71 करोड़ रुपए है। [चूंकि भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कामों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है।] प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. एपीडीआईवी-20/84/2025-पीआईयू कुरनूल/ई-252934]

विनय कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2025

S.O. 4436(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1050 (E) dated:05 March, 2024 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Kurnool to Atmakur section of NH-340C in the state of Andhra Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority")

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the " rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 38.405 km (Table-2) and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 3.100 km (having length of 0.310 km, Table-4) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 27.400 km (Table-3) costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four or more lane of Kurnool-Mandlam-Atmakur section from Design Km.0.00 to Design Km. 66.115 (Existing Km. 5.400 of NH-40 to Existing Km.73.00) of National Highway 340C in the state of Andhra Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:

Table 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely:

Table 2

Location of Fee Plaza (chainage)	**Length (in km) for which Fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
At km. 47+750 of NH-340C near Rudravaram village in Nandyal District of Andhra Pradesh State	38.405 [Excluding length of Bypass (costing>10Cr.) and length of Structures(>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s):

Table 3

Location of Fee Plaza (chainage)	**Name of the Bypass**	**Taking Off**	**Merging at**	**Length & Cost of bypass for which additional fee is payable**	**Rate at which fee is payable**

				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At km. 47+750 of NH-340C near Rudravaram village in Nandyal District of Andhra Pradesh State	Kurnool - Gargeyapuram	Design km 0+000	Design km. 10+800	10.800	106.98	150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Bollavaram-bharamhankotkur-Nandikotkur Bypass	Design km 15+200	Design km. 27+500	12.300	129.26	
	Atmakur Bypass	Design Km. 61+200	Design Km. 65+500	4.300	52.00	
	Total			**27.400**		

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by equalization factor of 10:

Table 4

Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of Structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km. 47+750 of NH-340C near Rudravaram village in Nandyal District of Andhra Pradesh State	0.310	3.10	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

*The details are as under: -

Sr. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in Km)
	From km	To km		
1.	41+372	41+440	Reconstruction of Major Bridge @ Km. 41+390	0.068
2.	41+801	41+876	New Major Bridge @ 41+815	0.075
3.	54+335	54+421	Major bridge @ Km. 54+350 (retain on LHS(64.9m)) & new Bridge on RHS(85.9m))(Avg. Is 0.0754m)	0.075
4.	54+475	54+569	Major Bridge @ Km. 54+500 (retain on LHS(90m) & New Bridge on RHS(93m)) (Avg. Is 0.0915m)	0.092
Total				**0.310**

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is **Rs.350 (Rupees Three hundred and Fifty only)** for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table: 5

Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one-way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

10. Based on the Base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is **Rupees 1743.71 Crore.** [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, etc. are ongoing]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No.APDIV-20/84/2025-PIU Kurnool/E-252934**]**

VINAY KUMAR**,** Add. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2025.10.01 00:19:49 +05'30'